उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र संख्या - 120/2018

1- चौधरी मूलराम मेमोरियल व एज्यूकेशन
सोसायटी पंजीकृत कार्यालय अजमेर रोड नागौर
जरिये सचिव विरेन्द्र चौधरी पुत्र डा० सहदेव
चौधरी जाति जाट निवासी- अजमेर रोड, नागौर

....प्रार्थी

बनाम

1- राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़
जयपुर (राज०)

.....अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251क राज०
काश्त० अधिनियम

निर्णय दिनांक 06/11/2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की
ओर से अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया।
प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार
से है कि ग्राम चक चारणवास पटवार हल्का
राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
में स्थित राजकीय भूमि ख०न०1 रकबा 14.16
हैक्टे० में पूर्वी-उत्तरी दिशा की ओर से प्रार्थी
की खातेदारी भूमि ख०न० 624/731 रकबा
10.40 हैक्टे० के आवागमन हेतु ग्राम जुगलपुरा
पटवार हल्का चिताणु तहसील आमेर जिला
जयपुर के आवागमन हेतु 60 फिट चौड़ाई

उपखण्ड अधिकारी
P.T.O.

चौडाई अनुसार रास्ता चला आ रहा है। जो कि मौके पर ख०न० 1/131 की भूमि उत्तरी दिशा में स्थित ख०न० 1/130 की गै०मु० सड़क से 60 फिट चौडाई है। जो कि प्रार्थी के आवागमन के रास्ते को गजरी नक्शे में प्रदर्शित किया जा रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद सं०। लगायत 5 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अनुतोष चाहा कि संलग्न नक्शे में प्रदर्शित अनुसार मौके स्थिति को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी की भूमि ख०न० 629/737 वाके ग्राम जुगलपुरा में आवागमन हेतु ग्राम चक-चारणवास में स्थित वर्तमान ख०न०। रकबा 14.16 हैक्टर० में से 60 फिट चौडाई अनुसार गै०मु० आम रास्ता कायम करते हुए, कायम आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी को जारी की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक-/कारए/ 1181 2093 दिनांक 6/11/2018 के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें अंकित किया कि ख०न०। रकबा 14.16 है० किस्म गै०मु० पहाड़ ग्राम चक-चारणवास पटवार मण्डल राजपुरवासवाला तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चक-चारणवास पटवार हल्का राजपुरवासवाला तहसील जमवारामगढ़ की सीमा के सहारे उत्तरी दिशा की ओर ग्राम जुगलपुरा प०ह० चिताणु कलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है।

P.T.O.

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग 08 से मेचर फार्म में जा गै०मु० सड़क ख०नं० 1180 रकबा 1.4000 है० में जा रही है उक्त सड़क से 60 फीट चौड़ाई अनुसार ग्राम जुगलपुरा की सीमा तक व रास्ते की लम्बाई 150 फीट है। आवेदित रास्ते की भूमि मुख्य सड़क राजमार्ग संख्या 08 से 700 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता वर्तमान ख०नं० 1 रकबा 14.16 है० ग्राम चक चारणवास में से 60 फीट चौड़ा अनुसार रास्ता जा रहा है। चौड़ाई व लम्बाई 150 फीट मौके पर चालू है। इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है

ख०नं० 1 रकबा 14.16 है० में से 60 फीट चौड़ाई व लम्बाई 150 फीट अर्थात् 862 वर्ग मीटर जो रास्ता मौके पर चालू है जिसको ख०नं० 1130 में लाल स्याही से दर्शाया गया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 क के तहत डी०एल०सी की प्रचलित वर्तमान दर का 2 गुना राशि राजकोष में जमा कराकर ग्राम चक चारणवास के ख०नं० 01 रकबा 14.16 हैक्टर में से रकबा 0.0862 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज करना उचित बताया।

उक्त दिनांक 6/11/2018 को पेशकार सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ का जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थी व सरकार ने उक्त तिथि को ही बहस करने हेतु निवेदन किया। पेशकार सरकार ने उक्त तिथि को ही बहस करने में सहमति जाहिर की

उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में

उपखण्ड अधिकारी

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथित किया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम जुगलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर कृषि भूमि ख०न० 6247/37 स्थित है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु ग्राम चक-चारणवास तहसील जमवारामगढ जयपुर के ख०न०1 रकबा 14.16 है० में से 60 फीट चौडाई व 150 फीट लम्बाई कुल 862 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज करने उचित निवेदन किया।

पेशकार सरकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत रिपोर्ट के कथनों को दोहराते हुऐ कहा कि ख०न०1 रकबा 14.16 हैक्टर में से रकबा 0.0862 हैक्टर भूमि का प्रचलित डी०एल०सी० दर से 2 गुना राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा कराती है तो गै०मु० रास्ता दर्ज किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर विवादित भूमि में आवागमन हेतु ग्राम चकचारणवास के ख०न०1 में से रकबा 0.0862 है० भूमि का गै०मु० रास्ता दिया जाना उचित व न्याय संगत समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क R.T. Act को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की भूमि आराजी ख०न० 6247/37 रकबा 10.40 हैक्टर वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के आवागमन हेतु तहसील जमवारामगढ जयपुर के ग्राम चक-चारणवास के ख०न०1 रकबा 14.16 है० में से 60 फीट चौडाई व 150 फीट लम्बाई = कुल 862 वर्ग मीटर भूमि गै०मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है तथा तहसीलदार जमवारामगढ कुल 862 वर्ग मीटर की डी०एल०सी० की प्रचलित वर्तमान दर का 2 गुना राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावे। तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा आदेश ..

के साथ प्रस्तावित नक्शा (रास्ता हेतु) की प्रति भेजी जाकर भूमिधारी (तहसीलदार जमवारामगढ़) को रिकार्ड एवं नक्शे में अमल करने के आदेश भी दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद प्रविष्टि दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)